न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी : ओ0पी0बिश्नोई आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 65/2022

अपीलाण्ट्स	बनाम	रेस्पोन्डेन्ट
1. रामूराम पुत्र हरींगाराम 2. भरमलराम पुत्र हरींगाराम 3. चौखाराम पुत्र बरसींगाराम उर्फ नरसींगाराम 4. मनोहरराम पुत्र बरसींगाराम उर्फ नरसींगाराम 5. शान्ती पत्नी मोहनराम 6. जगदीश पुत्र मोहनराम 7. श्रवण कुमार पुत्र मोहनराम 8. कैलाश पुत्र मोहनराम जातियान–विश्नोई, निवासीगण–विष्णुनगर तहसील लोहावट, जोधपुर।		1. महिपालसिंह पुत्र शिवनाथराम 2. रामस्वरूप पुत्र शिवनाथराम 3. संगीता पुत्री शिवनाथराम 4. अनीता पुत्री शिवनाथराम 5. मंगलीदेवी पत्नी शिवनाथराम 6. हरचन्दराम पुत्र भूराराम 7. भारमलराम पुत्र भूराराम 8. हीराराम पुत्र भूराराम 9. पांचाराम पुत्र भूराराम 10. जोधाराम पुत्र प्रहलादराम जातियान– विश्नोई, निवासीगण विष्णुनगर तहसील लोहावट,जोधपुर 11. सरपंच, ग्राम पंचायत हीरामोती 12. तहसीलदार लोहावट, जोधपुर

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम,1956 विरूद्ध निर्णय उपखण्ड अधिकारी लोहावट के द्वारा पारित आदेश दिनांक 07.02.2022 अनवान तहसीलदार, लोहावट बनाम रामूराम वगैराह के विरूद्ध पेश की गई।

उपस्थितिः–

1– श्री सांवलराम चौधरी, अधिवक्ता अपीलांटस की ओर से ।
2– श्री पूनाराम विश्नोई, अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 1 से 8 व 10 की ओर से।
3– श्री नवल सिह दहिया, राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट 12 की की ओर से।
4– रेस्पो0 संख्या 9, 11 बावजूद सूचना के अनुपस्थित है।

निर्णय

दिनांक 6 अक्टूबर, 2022

अपीलान्ट के द्वारा यह अपील उपखण्ड अधिकारी, लोहावट के द्वारा पारित आदेश 07.02.2022 के विरूद्ध न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

पक्षकारो के अधिवक्तागण उपस्थित। उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई। वकील अपीलांटस ने अपील मीमो मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए अपनी बहस मे कथन किया कि अपीलान्टस व रेस्पो0 संख्या 1 से 10 की पैतृक कृषि भूमि खेत खसरा संख्या 754 रकबा 97.4967 हैक्टर मौजा बिष्णुनगर में संयुक्त खातेदारी की आई हुई है। जो पूर्व समय में मौके पर बंटवाडा करके अपने–अपने हिस्से अनुसार अलग–अलग काश्त करते एवं उसी अनुसार इस जमीन में अपीलान्टस व रेस्पो0 के आवासीय मकान व पशुओं के बाडे बने हुए है। उक्त भूमि का बंटवाडा कराने हेतु रेस्पो0 को कहा तब वे आनाकांनी करते रहे तब अपीलान्टस ने एक राजस्व वाद सहायक कलेक्टर, लोहावट में पेश किया जो विचाराधीन हैं।

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

तहसीलदार लोहावट के द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 132 एवं 136 राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम विष्णुनगर के ख0सं0 754, 755, 756 तथा 757 में कदीमी रास्ता चला आ रहा है जिसका रेकार्ड में कदीमी रास्ता दर्ज किया जावें। जिस पर अधीनस्थ

न्यायालय ने उक्त प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए उक्त खसरान में से गैर मुमकीन रास्ता दर्ज करने का आदेश पारित कर दिया। जिस पर अपीलान्टस ने एक अपील 247/2021 अनवान रामूराम वगैराह बनाम राज्य वगैराह पेश की जिस पर अपीलान्ट की अपील को स्वीकार कर उपखण्ड अधिकारी, लोहावट को उपरोक्त आब्जर्वेशन/बिन्दु को मध्यनजर रखते हुए प्रकरण में अपीलान्टस की खातेदारी के हक–हिस्से वाली भूमि बाबत अपने पक्ष/सुनवाई का अवसर देने के उपरान्त पर पुनः एक माह में निर्णय पारित करने का अपीलाधीन आदेश दिनांक 17.12.2021 को पारित किया गया। अपीलान्टस अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि जब बंटवाडा का दावा विचाराधीन है, राज्य सरकार के परिपत्र अनुसार सहखातेदारी के बीच में से अपने रास्ते से बाहर जाने का रास्ता नहीं हो तो बंटवाडे के दावे में सहकाश्त खातेदारों की सम्मिलित भूमि में रास्ता दे दिया जायेगा, इस कारण से अलग से उक्त प्रकरण में रास्ता सम्बन्धी बिन्दु तय करना न्यायोचित नहीं है परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रिमाण्ड प्रकरण के आदेश में भी बंटवाडे के अनुसार मौके पर रास्ते की भूमि का निर्धारण किया जाने का आदेश दे दिया गया है। रिमाण्ड आदेश में मौका वस्तुस्थिति के अनुसार मौके की रिपोर्ट मांग विवादग्रस्त भूमि पर रास्ते की भूमि की उक्त आदेश में पालना नहीं की है। अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर अपीलान्टस की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 7.2.2022 को निरस्त किया जावे एवं बंटवाडे के दावे के आदेशानुसार विवादित भूमि में रास्ता भूमि का निर्धारण किया जावें।

प्रत्युतर में रेस्पो0 संख्या 1 से 8 व 10 के उपस्थित अधिवक्ता ने यह कथन किया कि ख0सं0 755, 756 व 757 हमारी खातेदारी की भूमि है इसके अतिरिक्त खसरा वाली भूमि अपीलान्टस की है। इन खसरान भूमि में से मौके पर चल रहे कदीमी रास्त को राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करने का जो आदेश पारित किया गया था वो विधिक प्रकिया अपनाते हुए ही पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा भूमि की मौका रिपोर्ट अनुसार ही खसरा भूमि में से गैर मुमकीन रास्ता परिवर्तन करने व नक्शा में दुरूस्ती व राजस्व रेकर्ड में अमल–दरामद करने का आदेश दिया है।

रेस्पो0 संख्या 1 से 8 व 10 के अधिवक्ता ने यह कथन किया कि अपीलान्ट के द्वारा न्यायालय हाजा के समक्ष जो तथ्य उजागर किये गये है उनका निस्तारण पूर्व में पारित अपील में जारी आदेश में किया जा चुका था। उनके द्वारा उपखण्ड अधिकारी लोहावट को प्रकरण सुनवाई हेतु पुनः प्रतिप्रेषित किये जाने पर उपखण्ड अधिकारी लोहावट के द्वारा प्रकरण दर्ज करते हुए वादग्रस्त भूमि खसरान के पक्षकारान को सुनवाई का अवसर प्रदान किया। जिसमें खसरा 754 में कुल 19 खातेदार थे जिसमें से 03 खातेदार अपीलान्टस संख्या 1 ता 3 ने आपत्ति पेश की और अन्य खातेदारान ने अपनी सहमति प्रदान की गई थी। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा रास्ता दर्ज करने के आदेश से पूर्व मौका फर्द का भी अवलोकन किया था। उक्त रास्ता जो वर्षो पुराना कदीमी रास्ता और आमजन के उपयोग में वर्षो से लिया जा रहा है। उक्त खसरा संख्या 754 एक सामलाती खसरा है जिसमें से अन्य खातेदारों के रास्ते बाबत समस्या का समाधान करने तथा सहखातेदारों को पहुंच मार्ग उपलब्ध करवाने की मंशा से ही रिमाण्ड प्रकरण में

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

तहसीलदार लोहावट के द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार खसरा संख्या 754 में से काटे गये रास्ते सम्बन्धी पारित आदेश को यथावत रखा गया हैं।

रेस्पो0 संख्या 1 से 8 व 10 के अधिवक्ता ने यह कथन किया कि अपीलान्ट के द्वारा रास्ते दर्ज करने बाबत भरे गये नामा0 की अपील भी अति0 जिला कलेक्टर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई। तत्पश्चात अपीलान्टस के द्वारा राजस्व मण्डल अजमेर के समक्ष भी निगरानी संख्या 2051/2022 चौखाराम वगैराह बनाम महिपालसिंह वगैराह प्रस्तुत की जिसमें प्रकरण को शीघ्र निस्तारित करने के निर्देश दिये गये। इस पर अति0 जिला कलेक्टर फलौदी ने प्रथम अपील संख्या 13/2022 चौखाराम वगैराह बनाम महिपालसिंह वगैराह में दिनांक 7.9.2022 को निर्णय पारित करते हुए अपीलान्टस की अपील को खारिज किया जा चुका है। उपरोक्त समस्त तथ्यों के आधार पर अपीलाधीन आदेश उचित होने से बहाल रखा जावें एवं अपीलान्टस की अपील अस्वीकार की जावें।

हमने उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली, प्रस्तुत दस्तावेजों एवं अपीलांधीन आदेश दिनांक 07.02.2022 इत्यादि का अवलोकन किया गया जिससें यह पाया गया कि अपीलाधीन भूमि प्रकरण में तहसीलदार एवं पटवारी हल्का के द्वारा उक्त खसरान रकबा भूमि में मौके पर कदीमी रास्ता होना प्रतिवेदित किया गया है। न्यायालय सम्भागीय आयुक्त के द्वारा प्रकरण रिमाण्ड किये जाने पर पुनः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत सुनवाई किये जाने के उपरान्त निर्णय पारित किया गया है जिसमें अब हस्तक्षेप की कोई गुंजाइश प्रतीत नहीं होती है। अपीलान्ट द्वारा सामलाती कृषि भूमि के बंटवाडे हेतु एक राजस्व वाद अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन होना बताया है। उक्त वाद दायर करने का आशय प्रचलित कदीमी रास्ते को बन्द किया जाना नहीं हैं। वक्त बंटवाडा प्रस्ताव तैयार करते समय तहसीलदार, लोहावट सहखातेदारान के पहुंच मार्ग की सुनिश्चितता के साथ कदीमी रास्ते का भी ध्यान रखे ताकि खातेदार विशेष के हिस्से में आ रही भूमि में अगर कदीमी रास्ता सृजित है तो कोई अन्य रास्ता प्रस्तावित नहीं किया जावे, फलस्वरूप खातेदार विशेष के हिस्से की खातेदारी भूमि में दोहरें रास्ते का अंकन न होवें। इस प्रकार उपरोक्त विवेचन के साथ अपील का निस्तारण किया जाता है।

अतः उपरोक्त समस्त तथ्यों एवं दस्तावेजात का विवेचन/विश्लेषण करने के उपरान्त अपील अपीलान्टस अस्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, लोहावट के द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 07.02.2022 को यथावत रखा जाता है। तहसीलदार, लोहावट बंटवाडा प्रस्ताव तैयार करते समय अपीलाधीन भूमि के सहखातेदारान के पहुंच मार्ग की सुनिश्चितता के साथ कदीमी रास्ते का भी ध्यान रखे ताकि खातेदार विशेष के हिस्से में आ रही भूमि में अगर कदीमी रास्ता सृजित है तो कोई अन्य रास्ता प्रस्तावित नहीं करें, फलस्वरूप खातेदार विशेष के हिस्से की खातेदारी भूमि में दोहरें रास्ते का अंकन न होवें। निर्णय आज दिनांक 6 अक्टूबर, 2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

(ओ0 पी0 बिश्नोई)
अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर